

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 324/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 27 बीकेसी, सी-27, जी ब्लॉक, बांद्राकुर्ला काम्पलेक्स,
बांद्रा (ई) मुम्बई एवं शाखा कार्यालय डी-231-232, फर्स्ट फ्लोर, एटलानटिस टावर, आम्रपाली मार्ग,
वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

- श्रवण लाल मीना पुत्र सोन्या लाल मीना
 - श्रीमती नैना देवी पत्नी श्रवण लाल मीना
- पता :- श्रीराम गोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, मीनो की ढाणी, भांकरोटा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक

19.01.2021

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था इण्डिया वूल्स हाउसिंग फाईनेन्स फाईनेन्स लि. ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.01.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रवणलाल मीना के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 14 ग्राम श्रीराम गोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, मीनो की ढाणी, अजमेर रोड, भांकरोटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 275 वर्गगज को बन्धक रख कर 25,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

जिला मजिस्ट्रेट


जयपुर कील प्रार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्राधीगणों को 25,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राधीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्राधीगण का ऋण खाता एन भी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि भय ब्याज कुल 27,45,246/-रुपये जमा कराने हेतु अप्राधीगण को दिनांक 24.01.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्राधीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया। अप्राधीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राधी श्रवणलाल मीना के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 14 ग्राम श्रीराम गोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, मोनो की ढाणी, अजमेर रोड, भांकरोटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 275 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट निजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।


19/1/21
(अन्तर सिंह मेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

